



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शनिवार, 28 जून, 2025 ई०

आषाढ़ 07, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग-1

संख्या 918/XII(1)/2025/86(16)2019

देहरादून, 28 जून, 2025

अधिसूचना

निर्वाचन

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम-2016 (यथासंशोधनों सहित प्रवृत्त) की धारा-14 (3), धारा-59(3) एवं धारा-96 (3) के प्रावधानों के अधीन शासन की अधिसूचना संख्या-885/XII(1)/2025/86(16)2019, दिनांक 21.06.2025 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1141/रा.नि.आ.अनु.-2/4324/2025, दिनांक 21.06.2025 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2025 (सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत) कराये जाने हेतु समय-सारणी निर्गत की गयी।

2. रिट याचिका संख्या-410/2025 (एम.बी.), गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या-400/2025 (एम.बी.), वीरेन्द्र सिंह बुटोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2025 के समादर में शासन के पत्र संख्या-897/XII(1)/2025/86(16)2019, दिनांक 24.06.2025 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-1242/रा.नि.आ.अनु.-2/4324/2025, दिनांक 24.06.2025 के द्वारा आयोग की पूर्व निर्गत अधिसूचना दिनांक 21.06.2025 की समय-सारणी में विनिर्दिष्ट दिनांक 25.06.2025 से नामांकन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी है।

3. रिट याचिका संख्या-400/2025 (एम.बी.), बीरेन्द्र सिंह बुटोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2025 के अनुपालन तथा तद्क्रम में मा.राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2025 (सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत) कराये जाने हेतु शासन की पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-885/XII(1)/2025/86(16)2019, दिनांक 21.06.2025 को अधिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित संशोधित समय-सारणी निर्धारित करते हैं:-

1. शासन द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 28.06.2025 (शनिवार)
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 28.06.2025 (शनिवार)
3. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना : दिनांक 30.06.2025 (सोमवार)
निर्गत किया जाना

निर्वाचन चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	नामांकन वापसी की तिथि	निर्वाचन प्रतीक चिन्ह का आवंटन	मतदान की तिथि	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
प्रथम चक्र	02.07.2025 से 05.07.2025 तक	07.07.2025 से 09.07.2025 तक	10.07.2025 से 11.07.2025 तक	14.07.2025	24.07.2025	31.07.2025
द्वितीय चक्र	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	18.07.2025	28.07.2025	-तदैव-

चन्द्रेश कुमार,
सचिव।